न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. राजस्व अपील संख्या 61/2018

श्री रोडू पुत्र श्री सुखदेव गुर्जर, निवासी ग्राम अरवड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़, जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

2. राजस्व अपील संख्या 62/2018

श्री कालू पुत्र श्री सुखदेव गुर्जर, निवासी ग्राम अरवड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़, जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

3. राजस्व अपील संख्या 63/2018

श्री रणवीरसिंह पुत्र श्री गंगासिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अरवड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़, जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956

———

उपस्थित :– 1. श्री शांतिप्रकाश ओझा, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हेमराज राठौड़ सरकारी वकील।

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

दिनांक — 14.01.2019

उपरोक्त तीनों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दू नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावें।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2075 में श्री रोडू पुत्र श्री सुखदेव गुर्जर, निवासी ग्राम अरवड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ने ग्राम अरवड़ के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 41 में से रकबा 0.02 हैक्टर पर कच्चा मकान बनाकर, श्री कालू पुत्र श्री सुखदेव गुर्जर, निवासी ग्राम अरवड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ने ग्राम अरवड़ के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 41 में से रकबा 0.05 हैक्टर पर आवासीय मकान बनाकर एवं श्री रणवीरसिंह पुत्र श्री गंगासिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अरवड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ने ग्राम अरवड़ के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 41 में से रकबा 0.10 हैक्टर पर बाड़ा व आवासीय मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या क्रमशः 19/2018, 10/2018 व 21/2018 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 11.04.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्हे पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 11.04.2018 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्याय हित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट को बिना नोटिस तामील कराये एवं जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दिनांक 05.04.2018 को प्रकरण दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया। तामील कुनिन्दा द्वारा चम्पानगी से नोटिस तामील कराने की रिपोर्ट के आधार पर आगामी पेशी दिनांक 11.04.2018 को आक्षेपीय आदेश पारित किया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चस्पानगी के कोई आदेश पारित नही किये गये तथा अपीलान्ट को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और ना ही अपीलान्ट ने नोटिस लेने से इनकार किया। चस्पानगी तामीली पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं है एवं ना ही चस्पानगी की दिनांक अंकित है। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान RRD 1998 पेज 386, RRD 1998 पेज 452, RRD 1995 पेज 338, RRD 2002 पेज 101 एवं RRD 2000 पेज 404 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट पर बिना इस तथ्य की जांच किये कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है या नहीं। पूर्व में मौके से कब बेदखल किया गया एवं ना ही कोई घटना बही तैयार की गई है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.04.2018 को एक मौका फर्द तैयार की गई जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति भी नहीं की गई है, के आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए गलत रूप से सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये गये हैं। वकील अपीलान्ट का आगे कथन है कि अपीलान्ट द्वारा साबिक खसरा संख्या 29 हाल खसरा संख्या 41 किस्म चाही, नाडी की आराजी पर अतिक्रमण नहीं किया जाकर खसरा संख्या 41 की सीमा समाप्त होने के पश्चात कच्चा पक्का मकान बनाकर वर्षों से निवास कर रहा है। विवादित आराजी को गलत रूप से नाप–चोप कर अतिक्रमी होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उन्होने कथन किया कि रिपोर्ट के सम्बन्ध में पटवारी हल्का के कोई बयान व साक्ष्य नहीं हुए हैं जो उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की ताईद करते हों। साथ ही वादग्रस्त आराजी पर निर्मित मकान को तोड़ फोड़ ना करने व बेदखल ना करने हेतु सिविल न्यायाधीश सरवाड़ के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। अन्त मे उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 11.04.2018 निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा चाही 3 व नाडी की सिवायचक भूमि पर कच्चा पक्का आवासीय मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मौका फर्द में दर्शाया गया है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की जांच करवाने के पश्चात् विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कच्चा पक्का आवासीय बनाकर अतिक्रमण किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चस्पानगी के कोई आदेश पारित किये बिना तामील कुनिन्दा द्वारा बिना गवाहों के हस्ताक्षर कराये अपीलान्ट को चस्पानगी द्वारा नोटिस तामील होना बताया गया है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये हैं जबकि अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिचारी होने सम्बन्धी कोई रिपोर्ट व साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपील तहसीलदार सरवाड़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट की उपस्थिति में विवादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौका जांच एवं रेकॉर्ड का परीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर नियमों के अंतर्गत पूर्ण विवेचना पश्चात नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 14.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(एम0एल0 नेहरा)
अपर कलक्टर, अजमेर
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner